

जिला टूरिज्म प्रमोशन कॉउंसिल, कार्यालय कलेक्टर, जिला-डिण्डौरी

भोजन व्यवस्था हेतु नियम एवं शर्तें

जिले में घुघवा पार्क, कारोपानी, कपिलधारा, कुकरामठ, डगोना वाटर फाल, जगतपुर इको टूरिज्म, देवनाला फाल एवं गुफा, नेवसा जलप्रपात एवं अन्य पर्यटन स्थल है। जहाँ पर देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। पर्यटकों को भोजन एवं नाश्ता प्रदाय करने हेतु व्यक्ति/संस्था/स्व सहायता समूह एवं अन्य सेवाप्रदाताओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, नियम एवं शर्तों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. दरें एक वर्ष हेतु मान्य होगी।
2. संस्था/फर्म/व्यक्ति के पास पेन/टेन नम्बर होना अनिवार्य है जिसकी छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
3. भोजन गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ होना अनिवार्य है।
4. भोजन एवं नाश्ता पर्याटक द्वारा दिये गये आदेशानुसार समय एवं स्थान पर प्रदाय करना होगा।
5. काउंसिल द्वारा इच्छुक सेवा प्रदाय दाता से आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। इस हेतु किसी सेवा प्रदाय दाता को कार्य आदेश प्रदाय करने संबंधी दावा मान्य नहीं होगा।
6. उक्त कार्य हेतु कलेक्टर जिला डिण्डौरी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
7. सेवा प्रदाय दाता को देयक भुगतान पर्यटक द्वारा नियमानुसार करों का कटौती कर किया जावेगा।
8. सेवा प्रदाय दाता अपने पास उपलब्ध सामग्री की दरें निर्धारित प्रारूप में बिना किसी फेरबदल के अपने आवेदन पर दिनांक 03.07.2013 को अपरान्ह 4.00 बजे कार्यालय में जमा करें।
9. प्रेषित आवेदन में किसी प्रकार की काट-छांट स्वीकार नहीं की जायेगी, ऐसी स्थिति में आवेदन को मान्य नहीं किया जायेगा।
10. आवेदन में पर्यटन स्थलों के नाम स्पष्ट लिखे जायें। जहां के लिये दरें दी गई हैं।
11. जिला टूरिज्म प्रमोशन कॉउंसिल कार्यालय से कार्यालयीन समय पर अथवा www.dindori.nic.in से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं।
12. आवेदक जिले में अन्य पर्यटन स्थलों के नाम सहित आवेदन दे सकते हैं।
13. आवेदन जिला टूरिज्म प्रमोशन कॉउंसिल कार्यालय में 100/-शुल्क के साथ जमा कराये जा सकते हैं।
14. पर्यटकों हेतु अवसर उपलब्ध करानें या सूचना प्रदाय करने के बदले में सेवा प्रदाय दाता द्वारा प्रस्तावित शुल्क जिला टूरिज्म प्रमोशन कॉउंसिल को देय होगी।

जिला टूरिज्म प्रमोशन कॉउंसिल
जिला डिण्डौरी

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

जिला टूरिज्म प्रमोशन कॉउंसिल

कार्यालय कलेक्टर परिसर, जिला डिण्डौरी

विषय:—पर्यटन स्थलों में भोजन उपलब्ध कराने हेतु आवेदन।

पर्यटन स्थल का नाम:—.....जहां पर निम्नानुसार सामग्री
उपलब्ध करायी जायेगी

क्र.	सामग्री का विवरण	सामग्री की मात्रा	दर	* जिला टूरिज्म प्रमोशन कॉउंसिल को प्रस्तावित प्रदाय राशि का प्रतिशत

* जिला टूरिज्म प्रमोशन कॉउंसिल द्वारा पर्यटक स्थलों पर अवसर उपलब्ध कराने की सूचना देने पर कॉउंसिल को दिये जाने वाले हिस्से का प्रतिशत भरा जाये।

आवेदन की शर्तें मेरे द्वारा पढ़ ली गयी हैं। मुझे सभी शर्तें मंजूर है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

नाम:.....

पता:—.....

.....

.....

मो.नं:—.....

ई-मेल:—.....

जिला टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल कार्यालय कलेक्टर, जिला—डिण्डौरी
दैनिक आधार पर वाहन किराये हेतु आवेदन आमंत्रण

जिले में घुघवा पार्क, कारोपानी, कपिलधारा, कुकरामठ, डगोना वाटर फाल, जगतपुर इको टूरिज्म, देवनाला फाल एवं गुफा, नेवसा जलप्रपात एवं अन्य पर्यटन स्थल है। जहाँ पर देश—विदेश से पर्यटक आते है। पर्यटकों को भ्रमण करवाने हेतु ट्रेवल्स एजेंसियों एवं अन्य वाहन प्रदाताओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जिस हेतु नियम एवं शर्तें निम्नानुसार है—

1. दैनिक वाहन किराये हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किये जायेंगे।
2. वाहन (बोलेरो/गामा/तूफान/सूमो/तवेरा/क्वालिस/स्कार्पियो/सफारी)— आदि मॉडल जुलाई—2011 अथवा उसके बाद का होना अनिवार्य है।
3. वाहन टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।
4. ट्रेवल्स एजेंसी/वाहन प्रदाता अपनी आवेदन दैनिक आधार पर मय डीजल सहित अपनी दरें प्रेषित करें।
5. समस्त व्यय वाहन प्रदाता/संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
6. वाहन में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन प्रदाता/संस्था उसके लिए स्वयं पूर्ण उत्तरदायी होगी तथा समस्त खर्चे स्वयं वहन करेगा।
7. वाहन प्रदाता को वाहन बीमा, रजिस्ट्रेशन इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखना आवश्यक होगा।
8. वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी जबाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।
9. वाहन खराब होने के स्थान से गैराज तक लाने एवं सुधरवाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा।
10. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय के बाहर उपयोग में न्यूनतम दूरी का कोई भी बंधन नहीं होगा।

11. ट्रेवल्स एजेंसी/वाहन प्रदाता को सदैव यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन चालक के पास वैद्य ड्रायविंग लायसेंस होना अनिवार्य है साथ ही वाहन चालक कुशल एवं ईमानदार है एवं उसका कभी कोई अपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए।
12. सेवा प्रदाय दाता को देयक भुगतान पर्यटक द्वारा नियमानुसार करों का कटौती कर किया जावेगा।
13. संस्था/फर्म/व्यक्ति का आवेदन के साथ पेन/टिन नं. की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. प्रेषित आवेदन में किसी प्रकार की काट-छांट स्वीकार नहीं की जायेगी, ऐसी स्थिति में आवेदन को मान्य नहीं किया जायेगा।
15. आवेदन में पर्यटन स्थलों के नाम स्पष्ट लिखे जायें। जहां के लिये दरें दी गई हैं।
16. आवेदक जिले में अन्य पर्यटन स्थलों के नाम सहित आवेदन दे सकते हैं।
17. जिला टूरिज्म प्रमोशन कॉउंसिल कार्यालय से कार्यालयीन समय पर अथवा www.dindori.nic.in से आवेदन प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं।
18. आवेदन जिला टूरिज्म प्रमोशन कॉउंसिल कार्यालय में 100/-शुल्क के साथ जमा कराये जा सकते हैं।
19. पर्यटकों हेतु अवसर उपलब्ध करानें या सूचना प्रदाय करने के बदले में सेवा प्रदाय दाता द्वारा प्रस्तावित शुल्क जिला टूरिज्म प्रमोशन कॉउंसिल को देय होगी।

जिला टूरिज्म प्रमोशन कॉउंसिल
जिला डिण्डौरी

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

जिला टूरिज्म प्रमोशन कॉउंसिल

कार्यालय कलेक्टर परिसर, जिला डिण्डौरी

विषय:—पर्यटन स्थलों पर भ्रमण हेतु दैनिक आधार पर वाहन की दरें प्रेषित करने हेतु आवेदन।

पर्यटन स्थल का नाम:—.....जहां पर्यटकों के भ्रमण हेतु दैनिक

आधार पर दरों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	वाहन मॉडल	वाहन क्र.	मॉडल वर्ष एवं माह	दैनिक आधार पर किराया एवं डीजल की दरें			* जिला टूरिज्म प्रमोशन कॉउंसिल को प्रस्तावित प्रदाय राशि का प्रतिशत
				दैनिक किराया मय वाहन चालक सहित	डीजल प्रति लीटर प्रति कि. मी.	डीजल प्रति लीटर प्रति कि.मी. (एसी) के साथ	

* जिला टूरिज्म प्रमोशन कॉउंसिल द्वारा पर्यटक स्थलों पर अवसर उपलब्ध कराने की सूचना देने पर कॉउंसिल को दिये जाने वाले हिस्से का प्रतिशत भरा जाये।

आवेदन की शर्तें मेरे द्वारा पढ़ ली गयी हैं। मुझे सभी शर्तें मंजूर है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

नाम:.....

पता:—.....

.....

.....

मो.नं:—.....

ई-मेल:—.....